

**General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}**


न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर आर.ए.एस.


श्री सीमेन्ट लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस बांगड़ नगर ब्यावर जिला अजमेर राजस्थान।	-बनाम-	हरलाल पुत्र रामदेवाराम जाति जाट निवासी ग्राम चोढाणी तहसल नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
किसम मुकदमा- प्रार्थना पत्र कैवियट अन्तर्गत धारा 148(ए) जाब्ता दीवानी		मु.नं. 21/2022 RCMS No

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
------	-----------------	---------------------------


14.10.22 प्रार्थना पत्र बाबत कैवियट आवेदक की ओर से वकील श्री चन्द्रकांत शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के संबंध में वाद-प्रस्तुत होने पर आवेदक को सुना जाने हेतु प्रार्थना पत्र तलब की जावेगी। पत्रावली दिनांक 28.12.2022 को पेश हो।

  
 सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)  
 नवलगढ़ जिला झुन्झुनू


28/12/22 पत्रावली पेश हुई। आज प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के संबंध में वाद-प्रस्तुत होने पर आवेदक को सुना जाने हेतु प्रार्थना पत्र तलब की जावेगी। पत्रावली दिनांक 16/11/23 को पेश हो।

  
 ए.सी.ई.एस. (फा.ट्रे.)  
 नवलगढ़


16/1/23 पत्रावली पेश हुई। आज प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के संबंध में वाद-प्रस्तुत होने पर आवेदक को सुना जाने हेतु प्रार्थना पत्र तलब की जावेगी। पत्रावली दिनांक 20/2/23 को पेश हो।



20/2/23 पत्रावली पेश हुई। आज प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के संबंध में वाद-प्रस्तुत होने पर आवेदक को सुना जाने हेतु प्रार्थना पत्र तलब की जावेगी। पत्रावली दिनांक 18/1/23 को पेश हो।



पत्रावली पेश हुई। वकील कैवियट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.10.2022 को दर्ज की गई प्रार्थना पत्र को दर्ज हुई करीब 03 माह से इन्फिड हो चुके हैं और अब यह प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा कैवियट को दर्ज कर लाने के लक्ष्य में कोई प्रकरण प्रस्तुत नहीं हुआ है। कैवियट प्रार्थना पत्र को इन्फिड हो अब 90 दिन हैं जो दिव्यतः ही चुकी है। कैवियट प्रार्थना पत्र अब पार होने से आगे चलने का कोई ऑफिस नहीं रहता है। अतः प्रार्थना पत्र अब विचार होने से इसी तरह पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फुल झुनार होकर दर्ज नम्बर से पूरा हो गया काइ तकमील आहा दर्जित दम्बर हो।

  
 ए.सी.ई.एस. (फा.ट्रे.)  
 नवलगढ़